JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD. JAIPUR

Near Gandhi Nagar Railway Station, JAIPUR- 302015

PABX:- 0141-2713666-69 Ext. 450 FAX: - 0141-2711075

Website : jaipurdairy.com Email: dtcjicaproject@jaipurdairy.com

OFFLINE TENDER DOCUMENT

FOR

FOR HIRING OF BUS

एकल चरण – दो भाग निविदा

JAIPUR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD. JAIPUR

Near Gandhi Nagar Railway Station, JAIPUR- 302015

Table of Contents

Disclaimer : …………………………………

Critical Dates : ……………………..

Notice Inviting Bid/Tender : ………………

SectionI: Instructions to Bidders and Bid Data (ITB): ……………

Section II: Evaluation and Qualification Criteria: ………………………

Section III: Terms of Reference (TOR): ………………………..

Section IV: Bidding Forms : …………………………

Technical Proposal (Bid)

(I) Financial Proposal (Bid) : ……………………………..
(II) Section V : Contract Forms and Performance Security : …………………

Disclaimer

A. The information contained in this e-tender/Bid document provided to the Bidder(s), by or on behalf of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited or any of its employees or advisors, is provided to the Bidder(s) on the terms and conditions set out in this offline-tender/Bid document and all other terms and conditions subject to which such information is provided.

B. The purpose of this e-tender/Bid document is to provide the Bidder(s) with information to assist the formulation of their Proposals. This e-tender/Bid document does not purport to contain all the information which each Bidder may require. This e-tender/Bid document may not be appropriate for all persons, and it is not possible for Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees or advisors to consider the business/ investment objectives, financial situation and particular needs of each Bidder who reads or uses this offline-tender/Bid document. Each Bidder should conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, reliability and completeness of the information in this e-tender/Bid document and where necessary obtain independent advice from appropriate sources.

C. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees and advisors make no representation or warranty and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the e-tender/Biddocument.

D. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited may, in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this offline-tender/Biddocument.

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur

PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines), Sales :91-0141-2713670 Fax No. : 0141-2711075

E-Mail : dtcjicaproject@jaipurdairy.com Website : http://www.jaipurdairy.com

Critical Dates

S.No	Particulars	Date
1.	Date & time of uploading tender document by Jaipur Dairy.	26.04.2025 at 2.00 PM
2.	Date from which Bidding Document will be provided from the web-site of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited i.e.www.jaipurdairy.com or can be downloaded from e-procurement or State Public ProcurementPortal	26.04.04025 at 02.00 PM
3.	Pre-Bid meeting at JZDUSS LTD. HQ, Jaipur	29.04.2025 at 12.00 PM
4.	Last time and date upto which Bids can be submitted/ uploaded on e- procurement website	02.05.2025 Upto 02.00 PM
5.	Last date & time for submission of fees following in original and physical form:	02.05.2025 Upto 03.00 PM
	Bid-security/EMD: Rs. 19,600/- by DD / banker cheque / pay order (CTS only)/ BG in name of Jaipur Zila Dugdh Utapadak Sahakari Sangh limited., Jaipur	
	Tender document fee: Rs. 500 by DD / banker cheque / pay order (CTS only) in name of Jaipur Zila Dugdh Utapadak Sahakari Sangh limited., Jaipur	
6.	Time and date of opening of Technical Bid	03.05.2025 upto 02:00 PM
7.	Time and date of opening of Financial Bid	To be informed later

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur

PABX No. 0141-2713666-69 (4 Lines) **Sales :91-01412713670 Fax No. : 0141-2711075**

E-Mail: dtcjicaproject@jaipurdairy.com Website: http://www.jaipurdairy.com

TENDER – FORM

Subject: offline tenders are invited from experienced and financially sound tenderers for Hiring of Bus for Farmer visit.

Pre-Bid meeting : 29.04.2025 at 12:00 PM
At Meeting Board room of Jaipur Dairy Plant, Near Gandhi Nagar Railway station, Jaipur

1) Last Date & Time For Submission/uploading : 02.05.2025 till 02:00 PM
2) Tender form fee, tender processing fee & EMD is to be deposited as per schedule : 02.05.2025 till 03:00 PM
3) Estimated value of Contract : Rs. 9.80 Lakh
4) Date & time for opening of the off line tender (Technical bid only) : 03.05.2025 at 02:00 PM
4) Earnest Money Deposit: Tender form must be accompanied with Earnest Money of Rs. 19,600/-
The EMD should be in the form of DD/BG in favour of "JAIPUR ZILA DUGDH UTAPADAK SAHAKARI SANGH" payable at Jaipur without which thoff linoff line tender form will not be considered.
5) Tender Fee (non-refundable) : Rs.500/-(Rs. Five hundred only) by Demand draft only in favour of "JAIPUR ZILA DUGDH UTAPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED" payable at Jaipur.

Note: The above referred fees & EMD to be deposited at following address:
Jaipur Zila Dugdh Utapadak Sahakari Sangh Ltd.,
Near Gandhi Nagar Railway Station: 302015

6) The complete Bidding Document including the Conditions of Contract, Evaluation and Qualification Criteria, Terms of Reference, Bidding Forms, Procedure of Bidding etc. can be seen at **www.jaipurdairy.com**. Alternatively, these may be seen and downloaded from the website of State Public Procurement Portal, **http://sppp.rajajasthan.gov.in** and website of e-procurement **http://eproc.rajasthan.gov.in** and the price of Bidding Document, Bid Security/ Bid Securing Declaration, as applicable and Processing Fee, the scan copy of these documents must be uploaded on e-procurement.

The original Demand draft/ Banker's cheque/ Bank Guarantee in the specified format, from a Scheduled Bank in India, shall be submitted personally or dropped in the Bid Box or by post in sealed envelopes deposited in the office of **Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Near Gandhi Nagar Railway station at Jaipur-302015** after last time and date of Bid submission and before Time and date of opening of technical Bid, failing in which the bid shall be rejected.

7) Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur is not bound to accept the successful Bid and may reject any or all Bids without assigning any reason thereof.

8) The Bidders shall have to submit proofs of their GST registration and the Permanent Account Number (PAN) of Income Tax.

9) For any query regarding the BID, the bidder can contact to competent authority Project Co-ordinator Phone No. 0141-2713666 Ext. 450

11) NOTE- Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" [hereinafter called the Act] and the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.gov.in Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

NIT

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर

गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर – 302015

क्रमांक :एफ2 / जजिदुउससलि / जायका / 2025 / 2437-39 दिनांक 24 / 04 / 2025

जयपुर दुग्ध संघ मे संचालित जायका प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादको, दुग्ध समिति की प्रबन्ध कार्यकारणी सदस्यों एव समिति सचिवों प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय एव कृषि विज्ञान केन्द्रों पर विजिट करवाये जाने हेतु बस किराये पर लिये जाने हेतु दरे प्राप्त की जानी है। बस किराये पर लिये जाने हेतु ऑफलाईन माध्यम से निविदा आमन्त्रित की जाती हैं, जिसकी विस्तृत सूचना एवं महत्वपूर्ण तिथियां sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी। निविदा का विवरण मय निविदा प्रपत्र के वेबसाईट www.jaipurdairy.com पर उपलब्ध है।

कृ. प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि :–

5. उपप्रबन्धक (प्रचार–प्रसार) दुग्ध संघ, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
6. सहायक प्रबन्धक (एएन), पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
7. सूचना पट्ट, दुग्ध संघ, जयपुर
8. कार्यालय प्रति / मास्टर फाईल

प्रबन्ध संचालक

SIGNATURE OF THOFF LINOFF LINE TENDERER
WITH OFFICE SEAL & DATE

अनुभाग -I

Instructions to Bidders

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from http:eproc.rajasthan.gov.in
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on http:eproc.rajasthan.gov.in, To participate in onlinoff linoff line tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information TechnologyAct-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contacte- procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.

   Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting thoff linoff line tenders, it should be ensured that all thoff linoff line tender papers including conditions of contract are digitally signed by thoff linoff line tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by thoff linoff line tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE:+91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232 "Tollfree,

24X7"

   E-mail- eproc@rajasthan.gov.in

7. Tender Form & hand written rates would not be accepted in Tender Box,
8. Please read carefully the steps of submitting Tenderonline.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads" section for further details about the e-tendering process.

Grievance Redressal during procurement process

Grievance Redressal

Any grievance of a Bidder pertaining to the procurement process shall be by way of filing an appeal to the Appellate Authority, as specified below:

Appellate Authority:- Chairman, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited

Appendix A: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved about any decision, action or omission of the Procuring Entity, he may file an appeal to Appellate Authority, as may be designated for the purpose, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bid before the opening of the financial Bid, an appeal related to the matter of Financial Bid may be filed only by a Bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

(1) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter in to negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(2) Form of Appeal

(a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in theappeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment offee.
(c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, in person or through registered post or authorized representative.

(3) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

(4) Procedure for disposal of appeals

(a) The Appellate Authority, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State

(e) Public Procurement Portal.

FORM NO.1

[See rule83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ………of ……………

Before the ………………………… (Appellate Authority)

1.Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii)Residential address:

2.Name and address of the respondent(s):

1.

2.

3.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who

passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of there representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

……

……

…………..... (Supported by an affidavit)

7.Prayer:

……

……………………………………

Place ……………………………

Date …………………………………

Applicant's Signature

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.
Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur

PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670 Fax No. : 0141-2711075,

E-Mail :-dtcjicaproject@jaipurdairy.com Website : http://www.jaipurdairy.com

निविदा प्रपत्र

(किसानों के **भ्रमण** हेतु पर किराये पर **बस** वाहन हेतु)

1. वाहन का प्रकार – **बस** /समकक्ष
2. नाम निविदाकर्ता ....
3. निविदाकर्ता के पिता का नाम ....
4. स्थाई पता ....
5. टेलीफोन नं...................................... मोबाईल नं ....
6. जमा राशि का विवरण–:

क. सं.	विवरण	डीडी नं	थ्दनांक	बैंक का नाम	राशि रू.
1.	फार्म फीस				
2.	धरोहर राशि				

7. वाहन संबंधी सूचना (वाहन का मॉडल 2022 या बाद को होना चाहिये)

क.सं.	रजिस्ट्रेशन नं.	वाहन का प्रकार	मॉडल
1.			
2.			

8. आयकर पैन नं.. जी.एस.टी नं ....
   बी.आर नं...ई–मेल...
9. वाहन आर.टी.ओ. से मैकनिकली फिटनेस एवं इन्श्योरड कन्डीशन में होना चाहिए एवं इन्श्योरड प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. फर्म/कंम्पनी का प्रकार प्रोपराइटर/ पार्टनरशिप/ अन्य यदि पार्टनरशिप हो तो रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति मय पार्टनरशिप डीड को प्रस्तुत करें।
11. निविदा प्रस्तुत करते समय यदि निविदादाता के पास जी.एस.टी नं. उपलब्ध नही है तो निविदादाता के द्वारा कार्य आवंटन से पूर्व जी.एस.टी नं. प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

SIGNATURE OF THOFF LINOFF LINE TENDERER
WITH OFFICE SEAL & DATE

अनुभाग II:

निविदादाताओं की अर्हता, पात्रता एवं मूल्यांकन की शर्ते

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :—

क्रम संख्या	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	सलंग्रक क्रमांक
1	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
2	आय कर (पैन नंबर)				
3	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत या बीआरएन या संस्था आधार				

2. निविदादाता को निविदा प्रपत्र फीस, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस, ई.एम.डी. राशि जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. निविदादाता द्वारा जयपुर सघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्व (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित होने पर निविदा में भाग नहीं ले सकते।
4. निविदादाता जिन्हे पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य किया गया है/निलम्बित/ अनुबंध निरस्त किया गया है / ब्लेक लिस्टेड किया गया है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
5. निविदादाता जिनका संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी वित्तीय सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नही ले सकते।
6. निविदादाता जिनका संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
7. निविदादाता जो दीवालिया /नाबालिक/अस्वस्थ मस्तिष्क के है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
8. निविदादाता जो संघ के समान/प्रतिस्पिर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
9. निविदादाता वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
10. जयपुर दुग्ध संघ में सुरक्षा कार्य के अनुबन्धित ठेकेदार, जयपुर दुग्ध संघ के सभी अनुबन्धित ठेकेदार पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा की निविदाओं में भाग नही ले सकते।
11. वे निविदादाता जिनको निविदा में भाग लेने से सीमित किया जाता है उसके लिये निविदा की विशेष शर्तो में मय सीमित करने का आधार का उल्लेख किया जावेगा।
12. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पायें जाने पर धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गांरटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा, जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।
13. निविदादाता को निविदा से सम्बन्धित सभी शर्ते माननी होगी। निविदादाता द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत किये जाने पर वह निविदा निरस्त मानी जावेगी।
14. निविदादाता को जी.एस.टी. में पंजीकृत व पेन नम्बर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रस्तुत करते समय यदि निविदादाता के पास जी.एस.टी नं. उपलब्ध नही है तो निविदादाता के द्वारा कार्य आवंटन से पूर्व जी.एस.टी नं. प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
15. निविदादाता को प्रपत्र में वांछित सभी फार्म भरकर हस्ताक्षर मय सील अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
16. लेबर सम्बन्धी निविदादाता के पास नियमानुसार पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण होना आवश्यक है।
17. निविदादाता को निविदा प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित करनी होगी।
18. एम.एस.एम.ई. निविदादाता को किसी भी प्रकार की टेण्डर फार्म राशि ई.एम.डी./सिक्योरिटी राशि में छूट नहीं दी जावेगी।
19. परिवार के सदस्य जिनके निविदा दाता से रक्त सम्बन्ध हैं और जो निविदादाता पर आश्रित हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते ।

अनुभाग III (A)

Terms of Reference

1 Scope of Work: Jaipur Dairy, Jaipur invites tender in two cover system for Hiring 52-seater bus Equivalent at Jaipur dairy.

2 Dividing quantities among more than one bidder at the time of award. - As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted if such condition is specified in the bidding documents. Counter offer to first lowest bidder (L1), in order to arrive at an acceptable price, shall amount to negotiation. However, any counter offer thereafter to second lowest bidder (L2), third lowest bidder (L3) etc., (at the rates accepted by L1) in case of splitting of quantities, as pre- disclosed in the bidding documents, shall not be deemed to be a negotiation.

3. All legal proceedings, if necessity arises, to be instituted by any of the parties shall have to be lodged in courts situated at Jaipur and not elsewhere.

अनुभाग III (B)

निविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है (तकनीकी भाग – भाग “अ” एवं वित्तीय भाग – भाग “ब”) । निविदादाता द्वारा दोनो भाग अलग अलग भरे जाने हैं एवं दोनो ही भाग अलग अलग लिफाफों में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे पर फर्म का नाम इत्यादि विवरण अंकित करना आवश्यक है । ई–टेंडर होने की स्थिति में भाग ''अ'' तथा भाग ''ब'' अलग–अलग अपलोड किये जाने हैं ।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा के भाग ''अ'' के साथ विशेष शर्तो के अनुसार धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी), टेंडर फार्म फीस के ड्राफ्ट JZDUSS ltd., Jaipur के नाम संलग्न करनी होगी एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट MD RISL के नाम जमा करवाना होगा। जिसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा राशि के पेटे समामेलित कर दी जावेगी। ई–टेंडर होने की स्थिति में धरोहर राशि, टेंडर फार्म फीस एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट की स्केन की हुई कॉपी भाग ''अ'' के साथ अपलोड की जानी है तथा मूल ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिये गये निर्देशो के अनुसार जमा करानी आवश्यक है ।
3. असफल निविदिदाताओं को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही उनकी धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
4. धरोहर राशि निम्न कारणों से जब्त की जायेगी :–
   1. यदि निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा वापस लेता है या परिवर्तन करता है ।
   2. यदि निविदादाता दर स्वीकृति पत्र में दिये गये समय के अंदर सुरक्षा राशि एवं अनुबन्ध नहीं करता है।

   नोट : यदि उक्त कारण से निविदादाता की धरोहर राशि जब्त की जाती है तो वह पार्टी भविष्य में संघ में किसी भी निविदा प्रकिया में भाग नहीं ले सकेगी। ऐसे निविदादाता जिनकी धरोहर राशि पूर्व मे जब्त की जा चुकी है वे इस निविदा मे भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे।

5. भाग “अ” के साथ सभी प्रकार के दस्तावेज इत्यादि संलग्न/अपलोड किये जाने आवश्यक हैं। भाग “ब” के लिफाफे में सिर्फ वित्तीय भाग ही होना चाहिए ।
6. सफल निविदादाता को (विशेष शर्तो के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो) बैंक गारन्टी दिया जाना अनिवार्य हैं। जो कि अनुबन्ध समाप्ति की अवधि के छः माह पश्चात तक की होना अनिवार्य हैं ।
7. अनुबंध की अवधि को संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में तीन माह के लिए उन्हीं शर्तो पर बढायी जा सकती है
8. अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व विशेष शर्तो के अनुसार सिक्यूरिटी के रूप में वांछित राशि जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । सुरक्षित राशि अनुबन्धित कार्यावधि सफलतापूर्वक समाप्ति के 6 माह पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरान्त चैक से लौटाई जा सकेगी :–

   (अ) निविदादाता को अनुबन्ध समाप्ति उपरान्त एक इण्डेमनिटी बाण्ड सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने पर ।

   (ब) सभी सम्बन्धित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ।

   (स) श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा नियम में जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (यदि आवश्यक हो तो) ।

   (द) कान्ट्रेक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं मे रिकार्ड संधारण किये जावेगें तथा आवश्यकता पर प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।(यदि आवश्यक हो तो) ।

(य) सभी वैधानिक आवश्यकताये मय आयकर / टैक्स (यदि हो तो) व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने की प्रकिया पूरी करनी होगी । अनुबंधकर्ता द्वारा टेक्स जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत करनी होगी ।

9. निविदा प्रपत्र के **विशेष शर्तो** में कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तों का विवरण दिया गया है । निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वंय सत्यापित फोटो प्रति तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करते हुये पृथक रूप से एक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम व **"भाग अ"** अंकित करना होगा । ई–टेंडर होने की स्थिति में भाग अ तथा भाग ब अलग अलग अपलोड किये जाने हैं ।

10. निविदा प्रपत्र का **भाग "ब"** में निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर भरी जानी है तथा इस दर के प्रपत्र को एक पृथक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर कार्य का नाम व **भाग "ब "** अंकित हो प्रस्तुत की जानी है। **ई–टेंडर होने की स्थिति में भाग "ब "निर्धारित प्रपत्र में अलग अपलोड किया जाना हैं**

11. उपरोक्त दोनों मोहरबन्द लिफाफे को एक अन्य लिफाफे में मोहरबन्द करके उस पर कार्य विवरण व निविदा खुलने की तारीख अंकित करते हुये निर्धारित अवधि से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । यह सिर्फ उन निविदाओं के लिए लागू होगा जिसमें ई–निविदा नहीं भरी जानी है ।
12. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिये प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के **भाग "अ"** में चाही गई वांछित सूचनाऐ एवं दस्तावेजों व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं की निविदाओं के सम्बन्धित **भाग "ब"** को खोला जावेगा ।
13. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा पत्र के भाग "अ" में किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति या ई.एम.डी. (अमानत राशि) के अभाव में अयोग्य घोषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत भाग "ब" पर विचार नही किया जावेगा ।
14. निविदा पत्र के भाग "ब" में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरो का उल्लेख अंको एवं शब्दो में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा । किसी प्रकार की ओवरराईटिंग पर सूक्ष्म हस्ताक्षर करना होगा । किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा। **ई–टेंडर होने की स्थिति में दरें निर्धारित प्रपत्र में ही भरी जानी है।**
15. सफल निविदादाता को जयपुर दुग्ध संघ का नोमिनल सदस्य बनना आवश्यक है।
16. किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा। किसी भी शर्त को जोड़ने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंध, जयपुर दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
17. निविदादाता को निविदा पत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। ई–टेंडर होने की स्थिति में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया जाना होगा ।
18. किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय में निहित रहेगा ।
19. फर्म के प्रकार में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर अनुबन्धकर्ता को इस कार्यालय में सूचित करना आवश्यक है । परन्तु यह परिवर्तन किसी भी पूर्व पार्टनर को अनुबंध के दायित्व से मुक्त नहीं करेंगीं । परिवर्तन के पश्चात भी अनुबंधकर्ता फर्म अनुबंध की शर्तो से बंधी हुई रहेंगी ।
20. कार्य आदेश देने के 15 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करना होगा । जिसके अभाव में कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि जब्त की जा सकेगी ।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र जयपुर मान्य होगा ।
22. निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत/अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
23. निविदायें सीलबन्द लिफाफे में प्रकाशित निविदा सूचना एवं ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में संलग्न प्रार्थना पत्र में अपना पूरा स्थायी पता व पत्र व्यवहार करने का पता टेलीफोन नम्बर अपना ई–मेल पता इत्यादि बिना किसी

अधिलेखन (OVER WRITING) के प्रविष्टियॉ पूर्ण कर प्रत्येक पृष्ठ पर इस आशय के साथ कि मैने प्रत्येक शर्त को पढ लिया है व समझ लिया है अपने हस्ताक्षर कर जमा कराना होगा । निविदादाता/अनुबंधकर्ता को कोई भी सूचना उसके ई–मेल के पते पर प्रेषित की जा सकती है । ई–मेल पर भेजी गई सूचना निविदादाता/अनुबंधकर्ता को उसी दिन प्राप्त हुई मानी जावेगी ।

24. डेयरी प्रशासन द्वारा निविदादाता के कार्यालय एवं अन्य संस्थाओं, जंहा विशेष शर्तो के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा दिया गया है, का अवलोकन किया जा सकता है ।
25. यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है जोकि अनुबन्ध अवधि में सामने आता हैं तो अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि/सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान जब्त कर लिया जावेगा ।
26. व्यवस्था में परिवर्तन होने पर एवं संघ हित में अनुबंध अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार संघ के पास होगा ।
27. किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा, जबकि निविदा व अनुबंध में किसी भी प्रकार शर्त व नियम जोड़ने/हटाने का अधिकार संघ हित में प्रबंध संचालक महोद्य, जयपुर दुग्ध संघ के पास निहित होगा।
28. अनुबंध की अवधि अनुबंन्धित कार्य प्रारम्भ करने के दिन, जिसकी गणना अनुबन्ध में वर्णित समस्त शर्तो को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कार्य आवंटन दिनांक से की जावेगी। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की कीमत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के प्रावधान के अनुसार होगी ।
29. मोहरबन्द निविदा निर्धारित तिथि व समय पर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी व उस समय निवेदक स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु इजाजत होगी । ऐसा इसलिये भी आवश्यक है कि उस दिन आवश्यक होने पर निविदा दरों पर नेगोशियेशन भी हो सकता हैं। ई–टेंडर होने की स्थिति में निर्धारित तिथी एवं समय पर निविदाएं डाउनलोड की जावेगी ।
30. निविदादाताओं द्वारा प्रेषित की गई दरें जयपुर दुग्ध संघ प्रशासन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिये निविदा खुलने की तिथि से तीन माह तक खुला रखना होगा।
31. अनुबंधकर्ता द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य का विवरण के समय निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु बिल अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करवाकर कार्यालय में कार्य पूरा होने अथवा प्रत्येक माह की समाप्ति पर माह की पांच तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा । अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
32. अनुबन्धकर्ता को उस पर लागू समस्त अधिनियमों कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विभाग अधिनियम, कांट्रेक्ट लेबर एक्ट 1970, आयकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, राज्य कर्मचारी अधिनियम, बाल श्रमिक रोकथाम एवं रेग्युलेशन एक्ट 1986 एवं आईएसओ 22000 के सिद्वान्तों की अनुपालना स्वंय को करनी होगी ।
33. अनुबंधकर्ता को अपने प्रत्येक कर्मकार के लिये रू0 05 लाख बीमित मूल्य का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। कार्य के दौरान कर्मकार के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त कार्यवाही करने का दायित्व अनुंबधकर्ता का होगा। यदि अनुबंधकर्ता द्वारा दुर्घटना बीमा नही कराया जाता है तो अनुबंधकर्ता पर राशि रू. 5000/–की शास्ति आरोपित की जावेगी।
34. अनुबंधकर्ता को अपने कर्मकारों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक 06 माह में करवाना आवश्यक है एवं सम्बन्धित रिकार्ड संस्था में देना होगा अन्यथा अनुबंधकर्ता पर राशि रू. 2500/–की शास्ति आरोपित की जावेगी।
35. अनुबंधकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि अपने या संघ में किसी अन्य अनुबंध के अधीन सुपरवाइजर/कर्मकार की तरह कार्य नहीं करेगा ।
36. कार्य स्थल पर अनुबंधकर्ता अथवा उसका ड्राईवर कार्य के दौरान उपस्थित होना चाहिए, अन्यथा निविदा शर्तानुसार/नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
37. अनुबन्धकर्ता को कोई भी शर्त जोडने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित करने अथवा बिना किसी नोटिस या कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ, जयपुर के प्रशासन का होगा ।
38. प्रबन्ध निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाने हेतु अनुबंधकर्ता को स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक के माध्यम से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रति पारी सम्पर्क स्थापित करना होगा एवं आपात

स्थिति में सम्पर्क स्थापित करने हेतु अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध को अवगत कराना होगा ।

39. Appeals :- First appellate authority - Chairman, JZDUSS
Second appellate authority - Managing Director, RCDF

Procedure for appeal is mention at Annexture "A"

40. सम्बन्धित अनुबंधकर्ता से अनुबन्ध अवधि में जो भी सूचना या दस्तावेज इस संघ द्वारा मांगे जावेगें वे निश्चित अवधि में उपलब्ध करवाने आवश्यक होगें यदि अनुबन्धकर्ता के द्वारा दस्तावेज/सूचना नही दी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तो की अवहेलना माना जावेगा तथा प्रबन्धन इस अनियमिता के लिये अनुबन्धकर्ता पर शास्ती आरोपित कर सकेगा तथा अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा ।
41. अनुबंध अवधि के दौरान कार्य अंसतोषजनक होने पर प्रशासन द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है । इस स्थिति में अनुबंधकर्ता की सुरक्षा राशि/ बैंक गांरटी एवं अन्य देय भुगतान भी जब्त किये जावेगें ।
42. अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्धित अनुबंधकर्ता द्वारा यदि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं तो अनुबन्धकर्ता को बकाया नहीं प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि व अन्य कोई राशि वांछित सूचना उपलब्ध करवाने तक नहीं दी जावेगी। अनुबन्ध अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई सूचना वांछित होती है तो वह सूचना अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा ।
43. निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते अनुबंध का हिस्सा होंगी ।
44. यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में वृद्वि/कमी की जाती है तो उसका समायोजन तद्नुसार किया जावेगा, इसके अलावा यदि अन्य कोई नया कर निविदा के पश्चात निर्धारित किया जाता है तो उसका भुगतान देय दरों के अतिरिक्त होगा।

निविदा से सम्बंधित विशेष शर्तें

1. उक्त अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी, जिसे आगामी तीन माह तक के लिये बढाया जा सकेंगा।
2. निविदादाता के पास स्वयं का वाहन नही होने की स्थिति में टेण्डर स्वीकृत होने पर वाहन खरीद कर लगाना चाहता है तो वह टैण्डर में भाग ले सकता है। निविदा फार्म में वाहन का रजिस्ट्रेशन क्षमता व मॉडल वर्ष अंकित करना होगा तथा वाहन निविदाकर्ता के नाम की फोटो प्रतियॉ निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। वाहन निविदादाता के नाम से होना आवश्यक है। यदि वाहन किसी अन्य नाम से है तो वाहन स्वामित्व उसे अपने नाम से स्थानान्तरण करने के पश्चात् ही बिल का भुगतान देय होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संघ की शर्तो एवं नियमों के अनुरूप निविदा शर्तो में निर्दिष्ट वाहन का अनुबंध / फिटनेस व वाहन संबंधित समस्त कागज प्रस्तुत करने होंगें।
4. पूर्ण रूप से भरे निविदा प्रपत्र को मय धरोहर राशि रू. 19,600/– प्रति वाहन की डीडी (TCS) निर्धारित तिथि एवं समय पर जमा करवाना होगा। जमा कराई गई धरोहर राशि रू. 19,600/– को वॉछित कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दिया जावेगा। आर.टी.पी.पी एक्ट के अनुसार कार्य संपादन प्रतिभूति राशि डीडी/बैंकर चैक/पे–ऑडर, बैंक गारंटी के रूप में दी जा सकती है। जमा सुरक्षा राशि/अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।
5. निविदादाता को वाहन किराये का मासिक भुगतान आर.टी.पी.पी रूल्स 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
6. निविदादाता अपनी दरें प्रति किलोमीटर निर्धारित प्रारूप OFFLINE माध्यम से ही प्रस्तुत करें।
7. सफल निविदादाता को कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के साथ निर्धारित राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता द्वारा स्वयं प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाना होगा कि उसे जयपुर दुग्ध संघ व अन्य दुग्ध संघो द्वारा वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में प्रतिबंधित/ ब्लैकलिस्ट नही किया गया हो एवं यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा संघ के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद लंम्बित होने पर निविदा अयोग्य मानी जावेगी।
9. निविदादाता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों एवं राजस्थान मोटर करारोपण नियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. ठेका अवधि के दौरान यदि ठेकेदार द्वारा वाहन बिना सूचना के हटा लिया जाता है तो संघ द्वारा देय भुगतान, धरोहर राशि तथा अंतिम माह के बिल की राशि जब्त कर ली जावेगी। यदि 15 दिवस तक ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध नही कराया जाता है तो यह मान लिया जावेगा कि ठेकेदार वाहन चलाने का इच्छुक नही है।
11. ठेके के दौरान वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर इससे संबंधित समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। संघ का इस हेतु कोई दायित्व नही होगा। दुर्घटना में जान–माल की हानि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस संबंध में पुलिस इन्श्योरेंस व अन्य दायित्व ठेकेदार के होगें।
12. ठेकेदार अपना ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरित नही कर सकेगा।
13. ठेकेदार द्वारा वाहन पर वाणिज्यिक लाइसेंसशुदा एवं स्वस्थ वाहन चालक ही लगाया जावे एवं फिटनेस संबंधि समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण होनी चाहिए।
14. ठेकेदार द्वारा संघ को उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहन का टैक्स, इन्श्योरेंस, प्रदुषण नियंत्रण का प्रमाण–पत्र (पी. यू.सी) एवं फिटनेस संबंधि समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण होनी चाहिए। वाहन का संम्पूर्ण बीमा वाहन में बैठने वाली सवारियों सहित होना चाहिए।
15. वाहन चालक को संघ के नियमों का कड़ाई/सख्ताई से पालन करना होगा तथा अधिकारियों के निर्देशो के अनुरूप कार्य करना होगा।

विशेष शर्ते व नियम

1. निविदा में मॉगे गये समस्त वाहन टैक्सी परमिट होने चाहिए।
2. निविदा में वर्णित वाहनों का मॉडल 2022 या बाद का होना चाहिए।
3. वाहन की आर.सी., इन्श्योरेंस परमिट एवं ड्राईवर का लाइसेंस ऑरिजनल सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक की एक सत्यापित फोटो कॉपी कार्यालय में संबंधित को जमा करवानी होगी।
4. दर स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् दस दिवस के अंदर वाहन को सत्यापन हेतु प्रभारी, पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा को भिजवाना होगा।
5. ठेका स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् वाहन को संबंधित अधिकारी के अधीन निर्देशानुसार कार्य करना होगा। यात्रा के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की शिकायत करने पर कार्यवाही की जा सकती है एवं उक्त की पुनरावृति करने पर ठेका समाप्ति की कार्यवाही भी की जा सकती है तथा भविष्य में निविदाओं के लिए भी प्रतिबंध कर दिया जावेगा।
6. वाहन की लॉग बुक संबंधित अधिकारी से प्रति यात्रा एवं प्रतिदिन प्रमाणित करवानी होगी तथा इसकी एक प्रति बिल के साथ संलग्न करनी होगी।
7. यात्रा पर जाने से पूर्व तथा लौटने के पश्चात् जयपुर दुग्ध संघ/पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा के गेट पर रखे रजिस्टर में किलोमीटर रीडिंग का इन्द्राज करवाना होगा। पालना नही करने पर वाहन को अनुपस्थित माना जाकर शास्ति आरोपित की जावेगी।
8. यदि यात्रा के दौरान मीटर खराब हो जाता है तो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित अनुमानित किलोमीटर देय होंगें तथा दो दिवस में मीटर सही कराने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
9. वाहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का भत्ता जैसे रात्रि विश्राम भत्ता, अन्य भत्ता देय नही होगा। वाहन को आवश्यकतानुसार राजस्थान के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी संघ के कार्य से भेजा जा सकता है। इस संबंध में परिवहन विभाग से आवश्यक अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।
10. ठेकेदार यह सुनिश्चित करें कि वाहन सुरक्षित एवं निर्बाध प्रतिदिन यात्रा करने में सक्षम तथा वाहन में आवश्यक मात्रा में डीजल/पेट्रोल/सी.एन.जी/ऑयल उपलब्ध है। संघ द्वारा पुनःभरण हेतु डीजल/पेट्रोल/सी.एन. जी/ऑयल नही दिया जावेगा।
11. किलोमीटर की गणना प्रारम्भिक बिन्दु से की जावेगी।
12. निविदादाता अनुबंध होने के पश्चात टैक्सी वाहन पर केवल योग्य चालक वाणिज्यिक लाइसेंस धारक कर्मचारी ही रखेगा। यदि कार्य करते समय वाहन दुर्घटना हो जाती है या उसके कर्मचारी को कोई चोट लग जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इसकी लिखित सूचना निविदादाता द्वारा 24 घण्टें में जयपुर डेयरी को देनी होगी।
13. यदि यात्रा के द्वौरान वाहन रास्तें में खराब हो जाता है तो ठेकेदार को वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत करनी होगी अन्यथा उक्त यात्रा के पेटे किसी प्रकार का कोई भुगतान नही दिया जावेगा तथा वैकल्पिक व्यवस्था प.आ.सं. कालाडेरा द्वारा करने पर अंतर राशि की वसूली की जावेगी।
14. यदि किसी दिन वाहन खराब हो जाता है या किसी भी कारण से वाहन उपलब्ध नही करवाया जाता है तो उस दिन के लिए रू. 500/– प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी तथा आपातकालीन उपयोग में लिए गए वाहन के भुगतान के अंतर की राशि वसूली जावेगी।
15. प्रबंध संचालक को अनुबंधित किसी भी वाहन के मॉडल, रंग अथवा क्षमता में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
16. आयकर व अन्य टैक्स जो इस ठेके से संबंधित ठेकेदार को ही वहन करने होंगें। ठेकेदार का अपना आयकर का पैन नं. अनिवार्य रूप से देना होगा।
17. निविदादाता द्वारा दी गयी सेवाओं का भुगतान मासिक किया जावेगा। माह की समाप्ति पर अनुबंधनकर्ता बिल तीन प्रतियों में जयपुर डेयरी को प्रस्तुत करेगा। भुगतान के लिए लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी। परिवहनकर्ता को अनुबंधित वाहन का बिल अगले माह की 15 तारीख तक दिया जाना होगा। तत्पश्चात् एक माह से अधिक देरी के उपरांत रू. 500/– प्रति माह शास्ति आरोपित की जावेगी।

18. अकेंक्षण के द्वौरान यदि निविदादाता के विरूद्व किसी प्रकार की बकाया निकाली जाती है तो इसकी क्षतिपूर्ति उसके द्वारा की जावेगी। नही किये जाने की दशा में विभाग के पास उपलब्ध राशि प्रतिभूति/धरोहर राशि से समायोजित की जावेगी।
    1. प्रत्येक माह की एक तारीख को डीजल/पेट्रोल/सी.एन.जी की दरों में बढ़ोतरी/घटोतरी होने पर स्विफ्ट डिजायर/समकक्ष डीजल/पेट्रोल वाहन के प्रति लीटर खपत के आधार पर 15 कि.मी. प्रति लीटर के औसत को व स्विफ्ट डिजायर/समकक्ष सी.एन.जी वाहन के प्रति किलोग्रम खपत के आधार पर 25 कि.मी. प्रति किलोग्रम के औसत को आधार मानकर दरों में बढ़ोतरी/घटोतरी की जावेगी। यह शर्त अनुबन्ध प्रारम्भ होने के बाद डीजल की दरों में परिवर्तन पर ही प्रभावी होगी।
19. विभाग द्वारा वांछित सभी अभिलेख निविदादाता को संघारित करने होंगे।
20. अनुबंधित अनुभाग को राजकीय अवकाश सहित को आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्दिष्ट स्थान एवं समय पर तुरंत वाहन उपलब्ध करवाना होगा।
21. अनुबंधित वाहन 24 घण्टें विभाग के नियंत्रण में रखना होगा। सभी दिवस कार्य दिवस होगें व राजपत्रित अवकाश होने पर पूर्व सूचना के साथ बुलाया जा सकता है।
22. वाहन विभाग को उपलब्ध करवाते समय सही एवं चालू हालत में होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी होने पर वाहन को विभाग द्वारा उपयोग में नही लिया जावेगा। ऐसे में किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए विभाग उत्तरदायी नही होगा।
23. वाहन की लॉग बुक विभाग द्वारा निर्देशित प्रपत्र में रखी जानी होगी। लॉग बुक तीन प्रतियों में तैयार की जानी होगी।
24.
    1. निविदादाता को दर समस्त कर (जी.एस.टी), रोड़ टैक्स, सवारी टैक्स इत्यादि शामिल कर प्रस्तुत करनी है। राजस्थान सीमा के अतिरिक्त अन्य राज्य सीमा में वाहन के परमिट, टैंक्स इत्यादि निविदादाता को जमा कराना होगा।
    2. निविदादाता को टोल टैक्स का पुर्नभरण, भुगतान के पश्चात् संबंधित अधिकारी से सत्यापित करवाकर, वाहन नंबर अंकित होने के पश्चात् ही किया जावेगा।
25. वाहन मय ड्राईवर प्रातः 8.00 बजें से सांय 8.00 बजें तक संबंधित अनुभाग में उपलब्ध करवानी होगी। वाहन कभी भी किसी भी समय पर संघ/प.आ.सं. कार्यालय में बुलाया जा सकता है। वाहन प्रस्तुत नही होने पर प्रबंध संचालक महोद्य के निर्देशानुसार शास्ति लगायी जावेगी एवं कार्य के लिए संघ द्वारा वाहन की व्यवस्था करने पर अंतर राशि का भुगतान परिवहन बिल से काटा जावेगा।
26. निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते अनुबंध का हिस्सा होंगी।

अनुभाग IV :

फॉर्म/दस्तावेज जो की प्रस्तुत किये जाने है

Form -1 {Location, Date}

TECHNICAL PROPOSAL SUBMISSION FORM

(On the letter head of the Bidder)

To

Managing Directore
Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. Jaipur-302 015, Rajasthan

Dear Sir:

We, the undersigned, offer to Tender Document Hiring of bus at Jaipur dairy in accordance with your Bid Proposals dated *[Insert Date]*. We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical and Financial Part Physically submission at Jaipur Dairy.

We hereby declare that:

(a) All the information and statements made in this Bid/Proposal are true and we accept that any misinterpretation or misrepresentation contained in this Bid/Proposal may lead to our disqualification by the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.and action may be taken against us under the provisions of the Act and the Rules.

(b) Our Proposal shall be valid and remain binding upon us for the required period of 90 Days.

(c) We declare that we have complied with the and shall continue to comply with the provisions of Code of Integrity contained in the Bid Document in competing for and in execution of the Contract and that we have no conflict of interest in accordance.

(d) We meet the Eligibility and Qualification criteria as required in the Bid Document.

(e) Our Bid/Proposal is binding upon us and subject to any modifications resulting from the Contract negotiations.

(f) We undertake, if our Proposal is accepted and the Contract is signed, to initiate the Services related to the assignment no later than the period stated in the Bid Document.

(g) We understand that the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. is not bound to accept any Proposal that it receives.

Yours sincerely,
Authorized Signature {In full and initials}: ______________________________
Name and Title of Signatory: ____
Name of Bidder (firm's/ company's name):
In the capacity of: ____
Address:____
Contact information (phone and e-ma

Form- 2
Bidders organization and Experience

Form-2: a brief description of the Bidder's organization and an outline of the recent experience of the Bidder that is most relevant to the assignment. For each assignment, the outline should indicate, the duration of the assignment, the contract amount and the Bidder's role/ involvement.

1. Name & full address of the firm ______________________________
Submitting the tender (In block letters)
____
____
Phone no.______________________Mobile no.______________________
Fax No.__________________________ Email address _________________

2. Addressed to : JZDUSS. Ltd., Near Gandhi Nagar Railway Station,Jaipur - 15
3. **Office Location (Complete address)**
....
....
Phone no.___________________________Mobile no. ____________________
Fax No ____________________________Email address _ ____ _____________
5. Name of the person/s authorized to : ....
Negotiate and sign the contract
(Designation / status in the firm) ....
(Enclose an attested photocopy of power of attorney issued by all partners/director in favour of nominated person).
6. Status of tenderer with signature : Individual/ HUF/ firm/ company
(tick mark only) (Specify the details in enclosed annexure– I)
(Mandatory: Before making any change in constitution of the firm, it will be intimated to JZDUSS LTD., Jaipur for approval).

7. Earlier experience in this field (if any) : Enclose the document/s.

8. Tender Fee Details:
Rs..................... DD no......................... date.......................
JZDUSS ltd, Jaipur/ Name of the Bank.................................... Branch..........................
(The DD should be in favour of JZDUSS LTD JAIPUR, payable at Jaipur)
9. EMD / Bid Security Details:
DD no. .... dated........../../2025
JZDUSS LTD JAIPUR, / Issued by Bank................................... Branch............... (DD should be in favour
of JZDUSS LTD JAIPUR, payable at Jaipur. No interest will be payable on EMD.

10 (a)PAN Card / No......................... (Attach attested Photocopy)

(b)GSTN No .... (Attach attested Photocopy)

11. Details of the Bankers: Name... Branch ....

District..................... State ....Acc No. …………………………..

IFSC Code...........................

SIGNATURE OF THOFF LINOFF LINE TENDERER
WITH OFFICE SEAL & DATE

FORM -4

(On the letter head of the Bidder)

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act
Declaration by the Bidder

In relation to our Bid/Tender submitted to Managing Director, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.., Jaipur- 302015, Rajasthan for Hiring of bus /Equivalent at Jaipur dairy**,** In responsetotheirBid/Tender Id Dated we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012,2013 that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd..
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date: Signature of Bidder

Place: Name :

Designaton:

Address:

FORM -5

POWER OF ATTORNEY

(On the letter head of the Bidder)

Know all men by these presents, We ....……. .(name and address of the registered office) do hereby constitute, appoint and authorise Mr / Ms…. ….. (name and residential address) who is presently employed with us and holding the position of …as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our Bid for selection as Bidder for Hiring of Bus /Equivalent at Jaipur dairy to be supplied by our jaipur dairy. Including signing and submission of all documents and providing information/responses to JZDUSS LTD., JAIPUR in all matters in connection with our Applicant for the said Assignment.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Dated this the Day of Acceptance

For..Name & signature

(Name and designation of the person(s) signing on behalf of the Applicant)

FORM -6

–: शपथ – पत्र :–

(On the letter head of the Bidder)

मैं /हम निविदादाता .... पुत्र श्री ....पता.. . ...(फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्र फर्म के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेटर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूं कि

1. मैं/हमारे द्वारा जयपुर सघ अथवा संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में) किसी भी न्यायालय किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
2. जयपुर संघ द्वारा मेरे/हमारे के विरूद्व किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
3. मेरा/हमारा पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है/निलम्बित नहीं / अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है / ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
4. मेरा/हमारा संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी (As on date of submission of Tender) वित्तीय सम्बन्ध नहीं है ।
5. मेरा/हमारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध नहीं है ।
6. मैं/हम दीवालिया /नाबालिक/अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है ।
7. मैं/हम संघ के समान/प्रतिस्पिर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त नहीं है।
8. मैं/हम वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय / संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं ।
9. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पायें जाने पर मेरी/हमारी धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गांरटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा । जिसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा ।

Form –7

TENDER ACCEPTANCE DECLARATION

(On the letter head of the Bidder)

Tender Reference No.___________________________

Tender ID No. _________________________________

Name of Tender / Work / Item ____

____

Dear Sir,

I / We have downloaded / obtained the tender documents(s) for the above mentioned "Tender / Work / Item" from the web site(s) namely:

____

________________________ as per your advertisement, given in the above-mentioned website(s).

1. I / We hereby certify that I/We have read and understood the entire terms and conditions of the tender documents (including all documents like Special Notes, annexure(s), Schedules(s), Specifications of the item(s), etc.) which form part of the contract agreement and I / We shall abide hereby the terms / conditions / clauses contained therein.

2. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

3. I / We hereby unconditionally agree & accept the tender conditions of above-mentioned tender document(s) corrigendum(s) in its totality / entirety.

4. In case any provisions of this tender are found violated or breached then your department / organization shall without prejudice to any other legal right or remedy be at liberty to reject this tender / bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, With Official Seal)

Form -8

—: शपथ — पत्र :—

(On the letter head of the Bidder))

मैं /हम निविदादाता .... पुत्र श्री .... पता ....

.... (फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्र फर्म

के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेटर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूं कि

1. मेरे द्वारा नियोजित श्रमिको को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्दीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैद्यानिक प्रावधानों की अनुपालना की जावेगी ।
2. मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में ही दिया जावेगा। बैंक खातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।
3. मेरे द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जावेगा ।
4. मेरे द्वारा राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफ एवं इएसआई की रशि जमा करवायी जावेगी ।
5. कार्य सम्पादन की अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/सदंर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का मुआवजा देने/इउसआई करवाने/सामूहित दुर्धटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
6. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं,दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये मेरी जिम्मेदारी होगी ।
7. सफल निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी । सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी । निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी । वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवे सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।
8. यदि सफल निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इसके लिए उपापन संस्था को सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
9. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

गॉधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर–302015

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पर बस/समकक्ष वाहन हेतु

वित्तीय भाग (भाग ब)

1. निविदादाता का नाम व पताः ....

2. निविदादाता का स्थानीय पताः..

3. स्थाई पताः ....

....

....

4. दूरभाष नं0 ....

5. ईमेल ....

6. मोबाइल नं0 ....

7. पैन नं0 ....

8. बैंक विवरण ....

....

1. दर ....रू. प्रति कि.मी. (AC BUS)

2. दर ....रू. प्रति कि.मी. (NON AC BUS)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेंरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा किसी भी संबंधित तथ्य को छुपाया नही गया है। यदि उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जावे तो हमारी निविदा निरस्त की जा सकती है। जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगें।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय् सील